अजमेर विधुत वितरण निगम लिमिटेड

कॉरपरेट आईडेंटिफिकेशन नम्बर (CIN)-U40109RJ2000SGC016482

रजि.कार्यालयः— विधुत भवन, पंचशील नगर, माकरवाली रोड़, अजमेर—305004

फोनः—+91-145-2644519, फैक्स :– +91-145-2644518

ईमेलः- secy.admn11ajmer@gmail.com, वेबसाईटः- www.avvnl.com

क्र॰ अविविनिनि /प्र॰नि॰ / सचिव(प्रशा॰) / /प्रे॰ 1531 दिनांक 31.5.17

परिपत्र

विषयः— भारतीय झंडा संहिता, 2002 तथा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में अंतर्विष्ट उपबंधों का कड़ाई से अनुपालना बाबत्।

संयुक्त शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप्–2) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प. 41(7साप्र/2/2005, जयपुर, दिनांक 06.04.2017 के साथ प्राप्त गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या 15/2/2017—पब्लिक, (पब्लिक अनुभाग), दिनांक 19.01.2017 की छाया प्रति संलग्न करते हुए निर्देशानुसार लेख है कि राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्र गान व राज्य संप्रतीक के संबंध में जारी भारत सरकार के अधिनियम/आदेश/निर्देशों पर आवश्यक कार्यवाही एवं पालना सुनिश्चित की जावें।

RKArora 30/5/17

सचिव (प्रशासन)

अ.वि.वि.नि.लि, अजमेर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. मुख्य अभियन्ता ( ), अविविनिलि, ...
2. अधीक्षण अभियन्ता ( ), अविविनिलि, ...
3. अधीक्षण अभियन्ता (IT), अविविनिलि, अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि परिपत्र को अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड़ की वेब—साईट पर अपलोड करें।
4. नोटिस बोर्ड।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

RKArora 30/5/17

सचिव (प्रशासन)

SE (IT), AVVNL, Ajmer

RR No. 663 Date 2/6/2017

Section..

Deleted 2/6/17

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड़

[कार्पोरेट पहचान कमांक (CIN):U40109RJ2000SGC016485]
रजि.कार्या: विद्युत भवन, ज्योति नगर, जयपुर–302005.
टेलि.:+91-141-2740844 ; फैक्स+91-141-2740455
ईमेल:as.gad@rvpn.co.in ; वेब साईट www.rvpn.co.in

कमाँकः राराविप्रनि / उप सचिव (जी.ए.डी.) / फा. / 17–18 / प्रे. 119 दिनाँकः 09/05/2017

परिपत्र

विषयः–भारतीय झंडा संहिता, 2002 तथा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में अंतर्विष्ट उपबंधों का कडाई से अनुपालना बाबत् ।

संयुक्त शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र कमाँक प.41(7साप्र / 2 / 2005, जयपुर, दिनाँक 06.04.2017 के साथ प्राप्त गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या 15 / 2 / 2017–पब्लिक, (पब्लिक अनुभाग), दिनाँक 19.01.2017 की छाया प्रति सलंग्न करते हुए निर्देशानुसार लेख है कि राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्र गान व राज्य संप्रतीक के संबंध में जारी भारत सरकार के अधिनियम/ आदेश/निर्देशो पर आवश्यक कार्यवाही एवं पालना सुनिश्चित की जावें ।

9/5/17

(पुखराज सेन)
सचिव (प्रशासन)

सलंग्नः–उपरोक्तानुसार.

प्रतिलिपि निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव (प्रशासन), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर / अजमेर / जोधपुर.
2. मुख्य अभियंता (सिविल), रा.रा.वि.प्रसा. निगम लिमि., जयपुर.
3. सयुंक्त निदेशक (पी एण्ड़ ए), राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमि., जयपुर.
4. तकनीकी सहायक–अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, रा.रा.वि.प्रसा.निगम लिमिटेड, जयपुर.
5. तकनीकी सहायक – प्रबंन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर / अजमेर / जोधपुर.
6. जन–सम्पर्क अधिकारी, रा.रा.वि.प्रसा.निगम लिमिटेड, जयपुर.
7. सहायक अभियन्ता (सिविल – बी.एस.बी.), रा.रा.वि.प्रसा.निगम लिमिटेड, जयपुर.
8. निजी सहायक – सचिव (प्रशासन), रा.रा.वि.प्रसा.निगम लिमिटेड, जयपुर.
9. वेब एडमिन, कार्या. अधीक्षण अभियंता (एम.आई.एस.), रा.रा.वि.प्रसा.निगम लिमिटेड, जयपुर, को प्रेषित कर लेख है कि परिपत्र को प्रसारण निगम की वेब–साईट पर अपलोड करे.
10. सुरक्षा अधिकारी, विद्युत भवन, जयपुर.

9.5.17

(आर.पी. गुप्ता)
उप सचिव (जी.ए.डी.)

Ajmer Vidyut Vitran Nigam
AJMER
(Administrative Wing)
RR No. 4278, 17/5/17
Section... PO (CO)
Secretary (Admn)

126

समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त जिला कलक्टर,
समस्त पुलिस अधीक्षक,
समस्त विभागाध्यक्ष/मण्डल/आयोग, राजस्थान।

SECY(T) 172 28.4.17

विषयः— भारतीय झंडा संहिता, 2002 तथा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में अंतर्विष्ट उपबंधों का कड़ाई से अनुपालना बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निदेशक, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से प्राप्त क्रमांक 15/2/2017—पब्लिक, दिनांक 19 जनवरी, 2017 की छायाप्रति संलग्न कर निर्देशानुसार लेख है कि राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्र गान व राज्य संप्रतीक के संबंध में जारी भारत सरकार के अधिनियम/आदेश/निर्देशों पर आवश्यक कार्यवाही एवं पालना सुनिश्चित कराने का श्रम करावें।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

DS(GAD) 2814

भवदीय,

(इन्द्र सिंह राव)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. उप सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय—पब्लिक अनुभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को उनके पत्र दिनांक 19.1.2017 के क्रम में ।
2. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (सुरक्षा) विभाग को उनके पत्र क्रमांक प.9(4)गृह—5/2009 दिनांक 3.2.2017 के क्रम में।

संयुक्त शासन सचिव

DO(AR) 237 2/5/17

SWRL

गृह (ग्रुप-5) विभाग
आवक सं. 141330
दिनांक 31/01/17
तत्काल

संख्या 15/2/2017-पब्लिक
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
पब्लिक अनुभाग
...

कार्यालय, मुख्य सचिव
राजस्थान, जयपुर
प्रवेश संख्या 1413350/CS/17
23 JAN 2017

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली -1
दिनांक 19 जनवरी, 2017

19 Jan 2017

सेवा में,

सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव/
सभी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक,
भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव।

विषय : भारतीय झंडा संहिता, 2002 तथा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में अंतर्विष्ट उपबंधों का कड़ाई से अनुपालन - के संबंध में ।

महोदय/महोदया,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश के लोगों की आशाओं एवं आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है और इसलिए, इसे सम्मान की स्थिति मिलनी चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज के लिए एक सार्वभौमिक लगाव और आदर तथा वफादारी होती है। तथापि, राष्ट्रीय झंडे के संप्रदर्शन पर लागू होने वाले कानूनों, अभ्यास तथा परंपराओं के संबंध में जनता के साथ-साथ भारत सरकार के संगठनों/एजेंसियों में भी जागरुकता का अभाव देखा गया है। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 तथा भारतीय झंडा संहिता, 2002 जो राष्ट्रीय ध्वज के संप्रदर्शन को नियंत्रित करते हैं, में से प्रत्येक की एक प्रति, उक्त अधिनियम तथा झंडा संहिता में अंतर्विष्ट उपबंधों के कड़ाई से अनुपालन के लिए इसके साथ संलग्न की जाती है (राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 तथा भारतीय झंडा संहिता, 2002 इस मंत्रालय की वेबसाइट www.mha.nic.in पर भी उपलब्ध हैं)। आपसे यह अनुरोध है कि कृपया इस संबंध में वृहद जागरुकता कार्यक्रम संचालित किए जाएं तथा इलैक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया में विज्ञापनों के माध्यम से वृहद प्रचार किया जाए।

2. इसके अलावा इस मंत्रालय के संज्ञान में यह लाया गया है कि महत्वपूर्ण अवसरों पर कागज के झंडों के स्थान पर प्लास्टिक के झंडों का प्रयोग भी किया जा रहा है। चूंकि, प्लास्टिक से बने झंडे कागज के समान जैविक रूप से अपघट्य (bio-degradable) नहीं होते हैं, ये लंबे समय तक नष्ट नहीं होते हैं और प्लास्टिक से बने राष्ट्रीय झंडों का सम्मानपूर्वक उचित निपटान सुनिश्चित करना भी एक व्यवहारिक समस्या है। यह भी उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 की धारा 2 के अनुसार - कोई भी व्यक्ति जो किसी सार्वजनिक स्थान पर या किसी भी अन्य स्थान पर सार्वजनिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय झंडे या उसके किसी भाग

को जलाता है, विकृत करता है, विरूपित करता है, दूषित करता है, कुरूपित करता है, नष्ट करता है, कुचलता है या अन्यथा उसके प्रति अनादर प्रकट करता है या (मौखिक या लिखित शब्दों में, या कृत्यों द्वारा) अपमान करता है तो उसे तीन वर्ष तक के कारावास से, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

3. अतः, आपसे यह सुनिश्चित करने का अनुरोध है कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेलकूद के अवसरों पर भारतीय झंडा संहिता, 2002 के प्रावधान के अनुरूप, जनता द्वारा केवल कागज से बने झंडों का ही प्रयोग किया जाए तथा समारोह के पूरा होने के पश्चात ऐसे कागज के झंडों को न तो विकृत किया जाए और न ही जमीन पर फेंका जाय। ऐसे झंडों का निपटान उनकी मर्यादा के अनुरूप एकान्त में किया जाय। प्लास्टिक से बने झंडे का उपयोग न करने संबंधी व्यापक प्रचार इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया में विज्ञापन के साथ किया जाए।

संलग्नक - यथोपरि

भवदीय,

वी.के. राजन

(वी.के. राजन)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं. 23094376

प्रति प्रेषित:-

1. राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली ।
2. उप-राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली ।
3. प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली ।
4. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. सभी राज्यपालों के कार्यालय।
6. भारत का निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली ।
7. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
8. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
9. रजिस्ट्रार, भारत का उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली ।
10. सभी उच्च न्यायालय ।
11. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली ।
12. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ।
13. केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली ।
14. नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली ।
15. गृह मंत्रालय के सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय।
16. 20 अतिरिक्त प्रतियां।